न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

करण संख्या – 08/2017 (अपील)
यर दिनांक – 03/08/2017
र्णय दिनांक – 18/01/2018

अनवान

1. चतरू पिता हरा गाडरी निवासी रेलमगरा, तह0– रेलमगरा

अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रेलमगरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. मांगु पिता हरा गाडरी निवासी रेलमगरा, तह0– रेलमगरा
3. सुडी बाई पत्नि गोपीया गाडरी निवासी रेलमगरा, तह0– रेलमगरा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध ग्रा0 पं0 रेलमगरा के ना0क0 सं0 345 दिनांक 14/12/1976

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्व ग्रा0पं0 के ना0क0सं0 345 दिनांक 14/12/1976 के इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि ग्राम रेलमगरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा की कृषि आराजी संख्या 2728 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किस्म नहरी द्वितीय एवं आराजी चाह संख्या 370 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा किस्म आ.चा. स्थित हैं प्रमाण में नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी अपील के साथ प्रस्तुत है। उक्त दोनों ही आराजीयात पूर्व में अपीलाण्ट के पिता हरा पिता वरदा गाडरी निवासी रेलमगरा के हिस्सेदारी अधिकार से दर्ज थी। जिसमें आराजी संख्या 2728 में प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा होकर आराजी चाह संख्या 370 में प्रार्थी/अपीलाण्ट के पिता हरा पिता वरदा का 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर उनका विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा दिनांक 14.12.1976 को नामान्तरकरण संख्या 345 निर्णित किया गया जो नामान्तरकरण अपीलाण्ट के दोनों भाई गोपीया व मांगीया के नाम पर ही निर्णित किया जाकर अपीलाण्ट का नाम ग्राम पंचायत रेलमगरा ने जानबुझकर

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उक्त नामान्तरकरण में निर्णित नहीं किया है एवं न ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट का नाम नामान्तरकरण संख्या 345 में दर्ज किया जबकि अपीलाण्ट भी हरा पिता वरदा की जाईन्दा संतान होकर उसका अपने पिता की सम्पत्ति में विरासत से बराबर का समान अधिकार निहित है। प्रमाण में उक्त नामान्तरकरण संख्या 345 एवं हरा पिता वरदा के नाम की सेटलमेन्ट की एवं उसके बाद की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपी अपील के साथ प्रस्तुत है। तत्कालिन पटवारी हल्का रेलमगरा ने जानबूझकर अपीलाण्ट का नाम अपने पिता की मृत्यु होने पर विरासत दर्ज करते समय जानबुझकर छोड दिया है जिस पर ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा भी कोई सरसरी जांच नहीं की जाकर उसी नामान्तरकरण को जानबूझकर गलत तरिके से निर्णित करते हुए अपीलाण्ट को उसके जायज हक अधिकार से वंचित कर दिया है। जो नामान्तरकरण अपीलाण्ट के मुकाबले निरस्त होने योग्य होकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 345 में अंकित हरा पिता वरदा के विरासत के रूप में गोपीया, मांगीया एवं चतरू पिता हरा का नाम दर्ज होना चाहिये। इस हेतु उक्त अपील माननीय आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। प्रमाण में अपीलाण्ट के नाम का वोटर आईडी एवं राशन कार्ड की फोटो प्रतित अपील के साथ प्रस्तुत है। अपीलाण्ट तत्कालीन समय वर्ष 1976 में अल्प वयस्क होकर उसे उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी नही थी अपीलाण्ट ने जब अपने नाम की नकल निकालनी चाही तो उसके नाम पर उक्त जमीन नहीं होना पाया गया तब अपीलाण्ट ने अपने पिता के नाम का विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 06.06.2017 को तहसील कार्यालय रेलमगरा से प्राप्त किया एवं जमाबन्दील भी प्राप्त की तब उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को प्राप्त हुई। तब से जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर प्रस्तुत करने में देरी हुई है उसे कण्डोन फरमाये जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त गलत इन्द्राज सही करने एवं अपीलाण्ट का नाम भी उक्त जमाबन्दी में दर्ज कराने के लिए तहसीलदार महोदय रेलमगरा का अपीलाण्ट ने आवेदन किया किन्तु तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय में अपील करने का सुझाव देते हुए उक्त नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया। जिससे अपील प्रस्तुत करने का हेतुक आज से 1 माह पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। नामन्तरकरण में दर्ज गोपीया पिता हरा की मृत्यु हो जाने से एवं सुडी बाई गोपीया की पत्नि होने से गोपिया की जगह उसकी पत्नि सुडी बाई को अपील में रेस्पोडेण्ट के रूप में विधिक अधिकारी होने से जोडा गया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

द्वारा निर्णित विरासत का नामान्तरकरण संख्या 345 दिनांक 14.12.1976 को निरस्त फरमाते हुए मृतक हरा पिता वरदा गाडरी के विधिक वारिसान के रूप में गोपीया, मांगीया एवं चतरू पिता हरा गाडरी निवासी रेलमगरा का नाम दर्ज फरमाया जावें तथा उक्त अनुसार जमाबन्दी में भी अमल दरामद फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन करने एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि अपीलाण्ट हरा पिता वरदा गाडरी का पुत्र होकर वादग्रस्त भूमियां पैतृक सम्पतियां है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत पैतृक सम्पत्यिों में प्रत्येक उत्तराधिकारी का समान हक अधिकार निहीत है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रेलमगरा के नामान्तरकरण संख्या 345 दिनांक 14/12/1976 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुन कर तथा हरा पिता वरदा गाडरी के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से विधिअनुरूप नामान्तरकरण पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा